संख्या- 19/2024/ 623/58-2024/1785428

प्रेषक,

विनय कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-83 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत एलोकेटेड केन्द्रांश के सापेक्ष भारत सरकार से एस.सी.एस.पी. श्रेणी हेतु चतुर्थ किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0-548.70 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0-365.80 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0-914.50 लाख के सापेक्ष कुल धनराशि रू0-359.84 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-156/बजट/2023-24, दिनांक 26.03.2024 एवं पत्र सं0-रा0औ0मि0-2078/Budget-2023-24, दिनांक 30 मार्च, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र सं0- F.N0.18-4/2017-MIDH(E) दिनांक 22.03.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-83 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत एलोकेटेड केन्द्रांश के सापेक्ष भारत सरकार से एस.सी.एस.पी. श्रेणी हेतु चतुर्थ किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0-548.70 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0-365.80 लाख, इस प्रकार कुल रू0-914.50 लाख के सापेक्ष कुल धनराशि रू0-359.84 लाख (रूपये तीन करोड़ उनसठ लाख चौरासी हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. चूँकि वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। निदेशक/वित्त विनयंत्रक वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगें कि इनका उल्लंघन न हो।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्ये सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
4. इस संबंध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 22.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्वत निदेशक/वित्तस नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।
5. प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।
6. इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
8. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्था यी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निदेशक, उद्यान एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।
12. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पूर्व निदेशक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना से आच्छादित केन्द्रांश व राज्यांश की समेकित निधि में जमा है।
13. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध् बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक का उत्तरदायित्व रहेगा।
14. विभागाध्यक्ष/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

https://sinasanadesh.up.gov.in

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

16. लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

17. लाभार्थी चयन/अनुदान वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 2,15,90,000 (रुपये दो करोड़ पंद्रह लाख नव्वे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2401007890108 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (के.60/रा.40-के.) **मानक मद** 27 सब्सिडी (*2*) रुपये 1,43,94,000 (रुपये एक करोड़ तैंतालीस लाख चौरानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2401007898908 राष्ट्रीय बागवानी मिशन **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या**-E-1-767-X-2023-24-दिनांक:31-3-2024** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

संख्या- 19 /2024/ 623(1)/58-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सहायक आयुक्त, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0- F.N0.18-4/2017-MIDH(E) दिनांक 22.03.2024 के संदर्भ में।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। द्वारा-निदेशक
7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)

उप सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in